77

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

अपील 3431–एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 31.08.2016 पारित द्वारा आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर प्रकरण कमांक 764/अ–27/2013–14

अफरोज बेगम पति डॉ. अब्दुल हकीम खान
जाति मुसलमान निवासी म.नं. 1156, नेपियर
टाउन, जबलपुर (म.प्र.) .....**अपीलार्थी**

विरुद्ध

1. सादिक खां
2. रासिद खां
3. अ. मतीन
4. मो. साजिद
   सभी आत्मज कादिर खां जाति मुसलमान
   निवासी– ग्राम डु. छपारा रा.नि.मं. छपारा
   तह0 छपारा जिला सिवनी (म.प्र.) .....**प्रत्यर्थीगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष अग्रवाल
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.के. गौतम

आदेश

(आज दिनांक 27/2/18 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 764/अ–27/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं अपीलार्थी द्वारा मौजा छपारा पटवारी हल्का नं. 21 स्थित भूमि खसरा नं. 945/1 रकवा 1.02 हे. तथा खसरा नं. 945/64 रकवा 0.05 हे. के बंटवारा हेतु तहसीलदार छपारा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 30.05.2013 द्वारा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर बंटवारा किए जाने के आदेश दिए। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील आदेश दिनांक 03.07.2014 द्वारा निरस्त की गई। जिसक विरुद्ध आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई। जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 31.08.2016 द्वारा निरस्त किया गया। आयुक्त जबलपुर के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई अभिलेख उपस्थित नहीं था जिससे यह प्रमाणित हो सके कि फर्द बंटवारा के पूर्व पटवारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना दी गई थी जबकि विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बगैर उसकी पीठ पीछे कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया कि तहसीलदार न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिका के अनुसार पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 04.08.2012 एवं दिनांक 16.08.2012 को न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा तहसीलदार द्वारा पुनः कब्जा, हक के अनुसार फर्द बटांक हेतु आदेश पारित किया गया था, किंतु उक्त आदेश पत्रिका से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार का आदेश त्रुटिपुर्ण है, क्योंकि विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि सहखातेदारों के बीच में प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा नहीं की जा सकती है, क्योंकि संयुक्त संपत्ति में सभी भूमि स्वामियों का संयुक्त कब्जा माना जाता है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि पटवारी प्रतिवेदन के उपरांत दिनांक 16.08.2012 को प्रत्यर्थीगण ने उक्त प्रतिवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत की थी, ऐसी स्थिति में जब कोई पक्ष किसी प्रतिवेदन पर आपत्ति करता है तब उक्त आपत्ति को निराकृत किये बगैर उक्त रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस संबंध में संहिता की धारा–178 के परन्तुक में जो उपबंध किए गए हैं उसका पालन तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में लिए गए आधारों पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। मात्र तकनीकि के आधार पर यह निर्धारित करके कि फर्द बंटवारे पर अपीलार्थी ने कोई आपत्ति नहीं की थी निर्धारित करके अपील निरस्त कर दी गई है। उक्त आदेश पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि फर्द बंटवारे पर स्वयं अनावेदकगणों ने लिखित आपत्ति की थी तथा पटवारी की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया था तथा स्वयं पटवारी प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी का पता न होने के कारण उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि इस संबंध में एआईआर 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 77, एआईआर 1956 सुप्रीम कोर्ट पेज 448, एआईआर 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 314 एवं 1992 राजस्व निर्णय पेज 4, अमर सिंह विरुद्ध अहीवरन का हवाला देते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

4 प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधि सम्मत है। उक्त आधार पर इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख

का अवलोकन किया। यह प्रकरण बंटवारे का है जो आवेदिका द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। प्रकरण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में विचारण न्यायालय का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि प्रकरण में फर्द बंटवारा करते समय पटवारी द्वारा मौके पर उपस्थिति हेतु पक्षकारों को कोई सूचना नहीं दी गई है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि फर्द बंटवारा बनाते समय नियम 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को Equl & compact area दिया जाना चाहिए जबकि इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा फर्द बंटवारे पर की गई आपत्तियों पर भी विचार नहीं किया गया है, जो कि आवश्यक था। इसके अतिरिक्त आवेदक के साक्षी कमांक 1 की साक्ष्य पर भी न्यायिक दृष्टि से विचार नहीं किया गया है जिसमें उसके द्वारा यह कथन किया है कि "जमीन के उत्तर का भाग हमें मिला था और दक्षिण का भाग मेरी जेठानी को मिला था जिसके अनुसार हम जमीन का आधा–आधा बंटवारा कराना चाहते हैं। उक्त कथन को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा की गई बंटवारे की कार्यवाही विधिसम्मत नहीं की जा सकती। दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी उक्त स्थिति को अनदेखा करते हुए आदेश पारित किए गए हैं। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाते हैं तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत बंटवारा आवेदन अनुसार उभयपक्षों को सुनकर संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के तहत बंटवारे की कार्यवाही की जाए।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर